



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या – 3999 वर्ष 2026

राजकिशोर उर्फ काला प्रधान उर्फ काले

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मुख्य सचिव गृह विभाग, लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता	: सरजू राम, कु.निर्मला देवी, ममता रावत, प्रशांत शेखर, शिवम् सिंह
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 12

माननीय न्यायमूर्ति श्री ज़फीर अहमद

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
- वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त-आवेदक द्वारा थाना- काकोरी, जिला- लखनऊ के अंतर्गत वाद अपराध संख्या 555 वर्ष 2020, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि गिरोह तालिका में आवेदक के विरुद्ध आठ मामले दर्शाए गए हैं। सभी मामलों में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। जमानत आदेश जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में दाखिल शपथ पत्र के अनुलग्नक-3 के रूप में पत्रावली पर संलग्न हैं। आवेदक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

22.02.2019 से कारागार में निरुद्ध है।

4. यह भी तर्क दिया गया है कि सह-अभियुक्तगण, नामतः दीपक बावरिया और कालिया उर्फ किशन उर्फ राकेश उर्फ राजू को इस न्यायालय द्वारा क्रमशः आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2439 वर्ष 2022 और 2945 वर्ष 2022 में दिनांक 11.03.2020 और 04.04.2022 के आदेशों के माध्यम से जमानत प्रदान की जा चुकी है। अतः, आवेदक समता का दावा करता है।

आवेदक उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यकता के अनुसार वचनबंध प्रस्तुत करने हेतु तैयार है। यह भी तर्क दिया गया है कि ऐसी कोई संभावना नहीं है कि आवेदक न्यायिक अभिरक्षा से फरार हो जाएगा या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करेगा। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्कित उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. इन तथ्यों पर सम्यक विचार करते हुए कि आवेदक 22.02.2019 से कारागार में है; गिरोह तालिका में दर्शाए गए मामलों में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा चुका है; सह-अभियुक्तों को जमानत प्रदान की गई है और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे आवेदक को जमानत पर रिहा करने हेतु उपयुक्त मामला पाता हूँ।

7. तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकृत** किया जाता है।

8. आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त ~~वसूली~~ **वसूली** ~~आवेदक~~ **आवेदक** ~~राजकिशोर उर्फ काला~~ **राजकिशोर उर्फ काला** ~~प्रधान उर्फ काले~~ **प्रधान उर्फ काले** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही धनराशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो न्यायहित में निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी:-

(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।
- (iii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके, और न ही वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।
- (iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार आदेश पारित करे।
- (v) आवेदक उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यकता के अनुसार यह वचनपत्र भी दाखिल करेगा कि वह किसी अन्य मामले में संलिप्त नहीं होगा और न ही जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।
- (vi) आवेदक नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहने की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।
- (vii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बीएनएसएस की धारा 84 के तहत उद्धोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्धोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध बीएनएस की धारा 209 के तहत कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा। 9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान जमानत आवेदन तक सीमित हैं और इनका विचारण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति श्री जफीर अहमद)

4 जून, 2026

रेनू

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।